(c) whether Government have considered seriously the question of taking affective steps against the possible unilateral economic sanctions against India by the USA?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The United States (US) requested for consultations with India on certain provisions in the amendments made to the Patents Act, 1970 including those applicable to mailbox and exclusive marketing rights and the provisions in relation to compulsory licensing.

The position of the Government of India was clarified to the US at the meeting held in Geneva in February, 1999. No economic sanctions have so far been imposed by USA on account of India's implementation of the provisions of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

(c) Government have submitted a paper to the General Council of World Trade Organisation on 'Unilateral action by States which also argues for rejection of unilateral trade measures.

लघु उद्योगों के लिए इक्विटी निधि की स्थापना

2989. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को लघु उद्योगों के लिए पूंजी की कमी दूर करने के लिए एक इक्विटी फंड स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या "सिडबी" और राज्य वित्त कम्पनियां इस फार्म हेतु बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना चलायी जा रही है ताकि लघु एककों को इक्विटी सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत लघु उद्यमियों को नयी परियोजनाएं स्थापित करने सभाव्य जीव्यक्षम रूग्ण एककों के पुनर्वास हेतु तथा मौजूदा एककों के विस्तार आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण, संबंधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस निधि से 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को 1 प्रतिशत प्रति वर्ष के सेवा शुल्क सहित 2.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय इक्विटी का संचालन राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों जैसी प्राथमिकता ऋण दाता संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

VRS and Compensation Policy in PSUs

2990. SHRI AKHILESH DAS:
SMT. VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any fool proof voluntary retirement scheme and compensation policy has been worked out in respect of PSUs to be closed down under the disinvestment programme;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) The number of employees relieved so far under various disinvestment scheme since 1991 and those who likely to be relieved during 1999-2000?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) and (b) No PSU is proposed to be closed down at present under the disinvestment programme. The general VR scheme evolved in 1988 is still in operation. Besides, company specific VR schemes have been approved by the Govt. from time to time.

(c) Does not arise in view of above.

प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं के कारण प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लंबित आवेदन-पत्र

2991. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए अनेक आवेदन-पत्र प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं के कारण लंबित हैं;